

- (2) Twentieth Report of the Committee on "Functioning and Expansion of Postal Network" relating to the Department of Posts (Ministry of Communications and Information Technology).

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Strict implementation of Law Preventing Child Marriages in Madhya Pradesh

श्रीमती चन्द्रकला पांडे (पश्चिमी बंगाल) : माननीय सभापति महोदय...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please speak in short. There are other Members also.

श्री मती चन्द्रकला पांडे : जी हां, मैं बहुत शॉर्ट में बोलुंगी, समय में सरला जी के लिए छोड़ दूंगी और मैं थोड़ा सा ही बोलुंगी।

श्री सभापति : नहीं, आप सरला जी के लिए मत छोड़िए, आप अपना ही पूरा कीजिए।

श्री मती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : सभापति जी, हमने कौन सा गुनाह किया है ? हमें कौन से गुनाह की सजा मिल रही है ?

श्री मती चन्द्रकला पांडे : सभापति महोदय, यह मुद्दा हम लोगों ने कल ही दिया था, जो कि बहुत ही आवश्यक था। मध्य प्रदेश में एक महिला सरकारी अधिकारी शकुन्तला जी, जो कि असामाजिक तत्वों के द्वारा घायल की गईं और जिनके हाथ काट लिए गए हैं। मैं उनके लिए पूर्ण न्यायिक जांच और अपराधियों को सख्त सजा की मांग करती हूँ। सभापति महोदय, आधी सदी से अधिक आजादी को बीत चुके हैं, अभी भी हमारा अनेकों कुसंस्कारों, अंधविश्वासों और रूढ़ियों से मुक्त नहीं हुआ है। उसमें से एक है बाल-विवाह। मध्य प्रदेश में अक्षय तिथि को जो एक सामूहिक बाल-विवाह होने जा रहा था उसी के लिए शकुन्तला जी यह जनजागरण अभियान चला रही थी और इस मामले में कई दिनों से उसको थरेटिंग मिल रही थी। लेकिन उन्होंने सोचा कि वे समाज को जागरूक कर पाएंगी। यह अत्यन्त दुखद है कि उन पर रात के समय कुछ लोगो ने आक्रमण किया और उन्हें घर से निकाला और उनके दोनों हाथ काट डाले। वह अब बड़ी ही दुखद अवस्था में अस्पताल में हैं। मैं आपसे इन अपराधियों को पकड़े जाने और उनके लिए न्यायिक जांच कराने की मांग करती हूँ। धन्यवाद।

श्री राजीव शुक्ल (उत्तर प्रदेश) : वहां के मंत्री जी का इस्तीफा भी लिया जाए।...(व्यवधान)...

श्री सभापति : आप बैठ जाइए ।...**(व्यवधान)**... आप जरा मेरी बात सुनिए । ...**(व्यवधान)**... शुक्ल जी, अगर आप इसे गंभीर मामला समझते तो आप अब तक नोटिस दे देते , आप महिलाओं को देखकर कहने लगे कि यह मामला गंभीर है । ऐसा मत करिए ।...**(व्यवधान)**...

SHRIV. NARAYANASAMY (Pondicherry): Sir,! have given a notice.

श्री सभापति : मैं आपको एलाउ करूंगा । ...**(व्यवधान)**... शुक्ल जी, डांट डिस्टर्ब, प्लीज, यह तरीका नहीं है, जब मरजी हो खड़े हो जाएं ।

श्री मती सरला महोश्वरी : धन्यवाद सभापति जी, मध्य प्रदेश के धार जिले के भानगढ़ में यह जो घटना घटी है जिसमें आई.सी.डी.एस. की एक महिला कर्मचारी शकुन्तला वर्मा के दोनों हाथ काट दिए गए । उनका अपराध सिर्फ यह था कि वे अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन कर रही थी । अक्षय तिथि के पूर्व भानगढ़ के गांव में जाकर उन्होंने उस गांव के लोगों को चेताया था कि वे बाल-विवाह की इस कुप्रथा पर रोक लगाएं और उस दिन बाल-विवाह न हो । सभापति महोदय,लेकिन अंधविश्वासों और कुसंस्कारों के बीच फंसे हुए हमारे समाज की प्रतिक्रिया कितने धिनौनें रूप से सामने आई कि उस शकुन्तला वर्मा को अपने दोनों हाथ गंवाने पड़े । सभापति महोदय, सबसे अहम प्रश्न जो इस घटना में हैं, समाज की प्रतिक्रिया तो फिर भी हम समझ सकते हैं लेकिन उस राज्य के *अगर यह प्रतिक्रिया करते हैं कि जो काम महात्मा गांधी नहीं कर सके सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का वह तो काम मे केस कर सकता हूं । इससे भी *नेतृत्व में चलने वाली सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री बाल-विवाह के आयोजनों में शामिल होते हैं और उसका केसेट तक मौजूद है ।

...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : इसमें * का जिक्र नहीं होना चाहिए, अगर जिक्र किया है तो वह विलोपि होगा ।

श्री मती सरला माहेश्वरी : सभापति जी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, आप रिकॉर्ड चैक कर सकते हैं ।

(श्री उपसभापति जी पीठासीन हुए)

उपसभापति जी, मैं इस सदन के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिंताजनक और हमारे आज के तमाम राजनीतिज्ञों के लिए जो सबसे ज्यादा चिंताजनक बात होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति का मतलब क्या है, हम समाज को बदलने का काम करते हैं, समाज में नीतियां निर्धारित करने का काम करते हैं और वैसे में अगर एक राज्य *इस तरह की बात करता है, जिससे हमने जो कानून बनाए है उन कानूनों की धज्जियां उड़ती हो और उस राज्य का एक मंत्री और वह भी सामाजिक न्याय मंत्री किस तरह का सामाजिक न्याय उस देश की और उस राज्य की जनता को दे रहा है कि

*Expunged as entered by the Chair.

खुलेआम बाल-विवाह के आयोजनों में शामिल होता है, जिसके कैसेट तक मौजूद है। ऐसे में हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे कानूनों को कैसे लागू किया जाएगा। उपसभापति महोदय, * इसलिए इस सदन के जरिए में मध्य प्रदेश की सरकार को वहां के मंत्री को भी यह संदेश देना चाहती हूँ कि इस तरह की आपराधिक कार्यवाही अगर हमारे नेता करेंगे तो उनके साथ में क्या सलूक किया गया ? इस सदन को हमारे माननीय गृह मंत्री जी बताएं कि वहां के* उस मंत्री के खिलाफ कौन सी एक्शन और क्या कार्यवाही हुई ? यह हमारे लिए * हमारे राजनेता इस तरह का धिनौना काम करेंगे और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो फिर आम लोगों से हम किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं। इतने वर्षों से कभी महिलाओं को डायन के नाम पर मार दिया जाता है, पत्थरों से मारा जाता है। उपसभापति जी, यह घटना बहुत ही चिंतनीय है और यह घटना एक प्रतीक है और इस घटना को एक प्रतीक के रूप में लेकर हमें सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ने को संकल्प लेना चाहिए। अगर महात्मा गांधी जैसे एक नहीं चार नेता हो जाते, कम से कम * को यह तो कहना चाहिए कि हां, मैं उस गांव में जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या हुआ, वह भी नहीं किया, उन्होंने एक तरह से हाथ खड़े कर दिये हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ।
...(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : आप नाम मत लीजिएगा।

श्री मती सरला माहेश्वरी : सर, मैंने नाम नहीं लिया है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : प्रो, राम देव भंडारी जी।...(व्यवधान)... आप संक्षेप में बोलिये।
...(व्यवधान)....

प्रो. अलका क्षत्रिय (गुजरात) : उपसभापति महोदय, मैं भी बोलना चाहती हूँ।...(व्यवधान)...

प्रो. राजीव शुक्ल : उपसभापति महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है।...(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : मैं आपको बोलने का समय दूंगा, आप क्यों इतनी जल्दी कर रहे हैं।
...(व्यवधान)... आप बैठ जाइये।...(व्यवधान)... भंडारी जी, संक्षेप में बोलिये। विषय एक ही है। आप जल्दी बोल दीजिए।

प्रो. राम देव भंडारी (बिहार) : उपसभापति महोदय, मैंने सूचना दी थी। मेरा बोलने का नंबर बाद में आया है, लेकिन मैंने सूचना पहले दी थी। माननीय उपसभापति जी,....(व्यवधान)....

SHRIMATI JAYA BACHCHAN (Uttar Pradesh): Sir, I just want to say
...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will call you. ...(Interruptions)...

*Expunged as ordered by the Chair.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, I do not want to speak. I just want to ask(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will call you..... {Interruptions}..

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: No, Sir. It has connection with what Shrimati Sarlaji has said(Intenvptions)..

प्रो. अलका क्षत्रिय : उपसभापति महोदय, मुझे भी बोलने का समय दे दीजिए।

श्री उपसभापति : आपको भी बोलने का समय देंगे।...(व्यवधान)....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will call you..... (Interruptions)...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: I just want to say one thing.(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, I will call you.(Interruptions)...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, I want to speak before him. Sir, it is important to do things on time. Time is very important. That is why I want to say something connected with what Shrimati Sarlaji has said. I agree that the * of the State has done nothing. But what about our Ministers from the Central Government, especially the Minister for Women Empowerment? What have they done? They have not made a single statement, they have not conveyed anything to the people through television or through media.

श्री राजीव शुक्ल : उपसभापति महोदय,(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप बोल दीजिएगा। बाद में अगर गवर्नमेंट रेसपांस करती है, तो आप बोल दीजिएगा। चेयर तो रेसपांड नहीं कर सकती है।

प्रो. राम देव भंडारी : माननीय उपसभापति जी, देश को आजाद हुए 57 वर्ष हो गये हैं और हमने सामाजिक बुराइयों, कुरीतियों को रोकने के लिए कई कानून बनाये हैं। बाल विवाह को रोकने के लिए भी कानून बनाया गया है अगर इसके बावजूद देश के कई राज्यों में बाल विवाह हो रहे हैं। सबसे अधिक संख्या में मध्य प्रदेश में बाल विवाह होते हैं।

महोदय, अक्षय तृतीया को विवाह के लिए बहुत पवित्र दिन माना जाता है। ऐसी संभावना होती है, कि उस दिन सैंकड़ों की संख्या में सामूहिक बाल विवाह होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने सभी मुख्य मंत्रियों को, सभी मुख्य सचिवों को, सभी डा.जी.पी. को पत्र लिखा था कि

“Expunged as ordered by the chair.”

अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से सावधानी बरती जाये। जो बाल विवाह सामूहिक रूप से होते हैं या एकल रूप में भी होता है, उसको रोका जाये।

महोदय, यह बड़ी निंदनीय घटना हुई है। इस घटना की जितनी निंदा की जाये, जितनी भर्त्सना की जाये, वह कम है। आज भी इस देश में कानून लागू करने के लिए शकुंतला वर्मा के दोनों हाथ काटे जाते हैं। महोदय, मुख्यमंत्री ने कहा कि जब गांधी जी देश की सामाजिक बुराइयों को, सामाजिक कुरीतियों को नहीं रोक सके, तो मैं क्या चीज़ होता हूँ। महोदय, इस तरह से *कहना उचित नहीं है। बाल विवाह को रोकने को जो कानून बनाया गया है, उनको इसे लागू करना चाहिए, इसके बजाय वे बाल विवाह का एक प्रकार से समर्थन कर रहे हैं।

श्री उपसभापति : भंडारी जी, आप खत्म करिये।

प्रो. राम देव भंडारी: महोदय, श्रीमती चन्द्रकला पांडेजी ने न्यायिक जांच की मांग की है। यह बहुत ही गंभीर, चिंतनीय घटना हुई है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह राज्य सरकार को निर्देशित करे कि शकुंतला वर्मा की चिकित्सा अच्छी तरह से हो, उनको पूरा मुआवजा दिया जाये और इस घटना की न्यायिक जांच कराई जाये, यह मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ।

श्री उपसभापति : पहले महिलाओं को मौका देंगे। प्रो, अलका क्षत्रिय जी।

प्रो. अलका क्षत्रिय : उपसभापति महोदय, एक तरफ तो साइन्स एंड टेक्नॉलाजी की बात करते हैं, 21 वीं सदी में जाने की बात करते हैं। ... (व्यवधान) ..

श्री उपसभापति : आप संक्षेप में बोल दीजिए। रिपीट मत कीजिए। ... (व्यवधान) ..

प्रो. अलका क्षत्रिय : उपसभापति महोदय, पहली बार महिलाओं के विषय पर बोलने का टाइम दिया है। इसे तो कम से कम सुन लीजिए ... (व्यवधान) ..

श्री उपसभापति : आप संक्षेप में बोल दीजिए। रिपीट मत कीजिए। ... (व्यवधान) ..

प्रो. अलका क्षत्रिय : उपसभापति महोदय, पहली बार महिलाओं के विषय पर बोलने का टाइम दिया है। इसे तो कम से कम सुन लीजिए ... (व्यवधान) ..

श्री उपसभापति : आप बोलिए।

प्रो. अलका क्षत्रिय : अत्याचार करने वाले भी पुरुष हैं इसलिए यह बात नहीं सुन सकते। (व्यवधान) ..

श्री उपसभापति : आप बोलिए। आप वक्त का ख्याल रखते हुए बोलिए।

† Epunged as orderd by the chair.

प्रो. अलका क्षत्रिय : उपसभापित महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि एक तरफ तो हम 21 वीं सदी में जाने की बात करते हैं या फिर साइंस और टेक्नॉलाजी की बात करते हैं, एक तरफ हम कल्पना चावला के स्पेस शटल में जाने पर गर्व महसूस करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आज भी हमारे देश में महिलाओं की हालत क्या है ? महिलाओं पर आये दिन अत्याचार होते हैं। दहेज के नाम पर उनको जिंदा जलाया जाता है। आप अखबार का पेज उलटकर देखिये, महिलाओं के साथ बलात्कार करने के किस्से रोज पढ़ने में आते हैं अगर उसको कोई रोकना चाहता है, तो जो रोकने वाला होता है, उस पर भी हमले होते हैं, चाहे वह भंवरी देवी का किस्सा हो या अभी हाल ही में...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप इसी इश्यू पर बोलिए।

प्रो. अलका क्षत्रिय : उपसभापति महोदय, मैं इसी इश्यू पर आ रही हूँ।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : इतना वक्त सदन के पास नहीं है।...(व्यवधान)...

प्रो. अलका क्षत्रिय : उपसभापति महोदय, गत मंगलवार के दिन मध्य प्रदेश के भानगढ़ गांव के अंदर महिला एंव बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक शकुंतला वर्मा, उसने बाल विवाह रोकने के लिए काम किया। वह अपनी ड्यूटी कर रही थी, उसके कार्य से नाराज होकर एक अज्ञात व्यक्ति ने उस पर हमला करके, उसके दोनों हाथ काट दिये।

उपसभापति महोदय, राज्य सरकार उस महिला अधिकारी को प्रोटेक्शन देने में असफल रही थी, लेकिन अपनी असफलता को और मामले की गंभीरता को छिपाने के लिए सरकार इस बात को बदलना चाहती है, उसे दूसरा मोड़ देना चाहती है। सरकार कहती है कि यह तो इनकी आपसी रंजिश थी। उपसभापति महोदय, इतना ही नहीं, बढ़वा के अंदर...

श्री उपसभापति : अब आप समाप्त कीजिए।

प्रो. अलका क्षत्रिय : वहां के सामाजिक न्याय मंत्री की मौजूदगी में बाल विवाह होता है। ऐसे मंत्री को निकालने के बजाय।

श्री उपसभापति : आप रिपीट मत कीजिए।...(व्यवधान).. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत से मेम्बर्स बोलने वाले हैं, आप संक्षेप में बोलिये।...(व्यवधान)... आप भाषण मत कीजिए।...(व्यवधान)...

प्रो. अलका क्षत्रिय : बीच में इंटरैक्ट नहीं करे, तो मेरी बात जल्दी खत्म हो जायेगी।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : यह बात सही नहीं है। चेयर से कुछ बोला जा रहा है, तो उसे आप सुनिये। आप रिप्लेट मत करिये। अब आप जल्दी से जल्दी खत्म करिए।

प्रो. अलका क्षत्रिय : उपसभापति महोदय, वहां के सामाजिक और न्याय मंत्री को निकालने के बजाय वहां * यह कहते हैं कि अगर गांधी जी भी इस बुराई को नहीं मिटा सकें, तो मैं कौन होता हूँ। पूरी दुनिया जानती है कि महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता निवारण के लिए क्या किया था।... (समय की घंटी) ... इसीलिए मैं आपके माध्यम से...।

श्री उपसभापति : श्री मती मोहसिना किदवई ।... (व्यवधान)....

प्रो. अलका क्षत्रिय : उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ कि असमर्थता व्यक्त करने वाले * निकाल देना चाहिए। हमें भी मिलकर ऐसा कानून बनाना चाहिए कि अगर कोई ऐसा काम करता है, तो उसे तुरन्त अपने पद से हटा देना चाहिए, इतना ही नहीं, ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसा काम न करे और शकुंतला वर्मा को जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से इसकी न्यायिक जांच कराने की मांग करती हूँ। धन्यवाद।

श्री मती मोहसिना किदवई (छत्तीसगढ़) : बहुत-बहुत शुक्रिया उपसभापति जी। इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें आती हैं। पहली बात तो यह है कि आपने यह कहा कि * नाम नहीं लेना चाहिए। इसमें सवाल किसी पब्लिक के आदमी का नहीं है, इसमें सवाल यह है कि वह महिला गवर्नमेंट आफिसर थी, जिसके हाथ काटे गये, तो यह एक गवर्नमेंट आफिसर की ड्यूटी थी, जो ड्यूटी बजा रही थी और उस ड्यूटी को करने के नाते उसके हाथ काटे गये। यह सबसे बड़ा मामला है बजाय इसके कि * कोई स्टेप्स लेते और उन्होंने इस तरह की बात कही है। * को इस बात ख्याल रखना चाहिए कि महात्मा गांधी का वक्त सौ वर्ष पहले का था, जिस वक्त किसी की हिम्मत इन चीजों पर बोलने की नहीं पडती थी, उस वक्त गांधी जी ने इसके बारे में कहा। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। दूसरा, सबसे बड़ा अहम सवाल है कि यह कानून बना हुआ है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शादी नहीं होगी। जब वहां बच्चों की शादियां हो रही थी, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वहां एक मंत्री का शामिल होना, यह सबसे बड़ी बात है। ये दो अहम चीजें हैं और इनके बारे में सोचना चाहिए। और वहां की सरकार को हाऊस के जरिए, या जो भी तरीका हो, या यह मैसेज जाना चाहिए कि यह गलत तरीका है। एक गवर्नमेंट आफिसर जो अपनी ड्यूटी पर थी उसमें मंत्री का शामिल होना और * यह कहना मैं समझती हूँ कि कानून बहुत बने हुए हैं लेकिन कानून वही माने जाते हैं जिनकी ऐक्सपेंस पब्लिक को होती है। हालांकि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादियां कम होने लगी हैं लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में होती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि वहां मंत्री की मौजूदगी और किसी छोटे कर्मचारी के साथ इतना बड़ा जुर्म होना, ये दो बहुत अहम चीजें हैं।

*Expunged as ordered by the Chair.

محترمہ محسنہ قدوائی "چھتیس گڑھ": بہت بہت شکریہ، اپ سبھاپتی جی۔ اس میں دو بہت اہم چیزیں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ *کا نام نہیں لینا چاہئے۔ اس میں سوال کسی پبلک کے آدمی کا نہیں ہے، اس میں سوال یہ ہے کہ وہ مہیلا گورنمنٹ آفیسر تھی، جس کے ہاتھ کاٹے گئے، تو یہ ایک گورنمنٹ آفیسر کی ڈیوٹی تھی، جو ڈیوٹی بجا رہی تھی اور اس ڈیوٹی کو کرنے کے نا طے اس کے ہاتھ کاٹے گئے۔ یہ سب سے بڑا معاملہ ہے۔ بجائے اس کے کہ *کوئی اسٹیپس لیتے اور انہوں نے اس طرح کی بات کہی ہے۔ *کو جو اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ مہاتما گاندھی کا وقت سو سال پہلے کا تھا، جس وقت کسی کی ہمت ان چیزوں پر بولنے کی نہیں پڑتی تھی، اس وقت گاندھی جی نے اس کے بارے میں کہا۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی ہوں۔

دوسرا سب سے بڑا اہم سوال ہے کہ یہ قانون بنا ہوا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کی شادی نہیں ہوگی۔ جب وہاں بچوں کی شادیاں ہو رہی تھیں تو اس میں سب سے اہم چیز ہے کہ وہاں ایک منتری کا شامل ہونا، یہ سب سے بڑی بات ہے یہ دو اہم چیزیں ہیں۔ اور ان کے بارے میں سوچنا چاہئے۔ اور وہاں کی سرکار کو باؤس کے ذریعہ یا جو بھی طریقہ ہو یہ میسج جانا چاہئے کہ غلط طریقہ ہے۔ ایک گورنمنٹ آفیسر جو اپنی ڈیوٹی پر تھی، اس میں منتری کا شامل ہونا اور *کا یہ کہنا، میں سمجھتی ہوں کہ قانون بہت بنے ہوئے ہیں لیکن قانون وہی مانے جاتے ہیں جن کی ایکسیپیٹ ٹینس پبلک کو ہوتی ہے۔ حالانکہ 18 سال سے کم عمر کی لڑکیوں کی شادیاں کم ہونے لگی ہیں لیکن مدھیہ پردیش اور راجستھان میں ہوتی ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں منتری کی موجودگی اور کسی چھوٹے کرمچاری کے ساتھ اتنا بڑا جرم ہونا یہ دو بہت اہم چیزیں ہیں۔

"ختم شد"

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Sir, the whole House joins her.

*Expunged as ordered by the Chair.

†transliteration in Urdu Script.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is what I am saying *...(Interruptions)...* The entire House in unanimous on this issue. Why does everybody want to speak on this issue?

डा. कुमकुम राय (बिहार) : मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक सरकारी कर्मचारी को संरक्षण देने का दायित्व वहाँ की सरकार पर था, उन्होंने अपने हथियार पहले ही डालते हुए अपनी अक्षमताओं को मान लिया है हम उस अक्षमता की भर्त्सना करते हैं और शकुंतला देवी ने जिस बाल विवाह को रोकने के लिए अपने दोनों हाथों की आहुति दी है, उन्होंने जो न्यायिक जांच और उसको मुआवजा देने की बात रखी है, उसका समर्थन करते हैं। साथ ही साथ मैं अपनी सरकार से यह निवेदन करना चाहती हूँ कि बाल विवाह निवारण अधिनियम, जो कानून हमारा बना हुआ है, उसमें जरूर कुछ कमजोरियाँ हैं जिनके कारण हर साल जो अक्षय तृतीय के दिन छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में हर साल बाल विवाह जैसी(व्यवधान)....रस्म निर्माई जाती है और सामाजिक कुरीति को बढ़ावा दिया जाता है ...(व्यवधान)....

श्री सभापति : मिनिस्टर रिप्लेट करेंगे। ऑनरेबल मिनिस्टर...(व्यवधान)....

डा. कुमकुम राय : उस कानून में जो कमियाँ हैं, उनको दूर करने के लिए संशोधन करना चाहिए और हम अपनी सरकार से यह आग्रह करते हैं कि उस कानून को फिर से बनाना चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: मिनिस्टर रिप्लेट करेंगे, आप उसके बाद ...(व्यवधान)....

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I want to speak. I have given my name.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy, if everybody starts speaking like this *...(Interruptions)...*Please sit down. The point is, the House is aware of the entire issue. Every hon. Member is raising the same issue. I am requesting all of you *...(Interruptions)...*

श्री उपसभापति : ठीक है, उसके बाद कीजिएगा। आप रूल्स को तो फालों कीजिए। यह विषय गंभीर है, हरेक मँबर यही कह रहा है कि यह गंभीर विषय है।

The hon. Member said that the whole House is expressing its sentiments. इसलिए मैं हर मँबर को, जितने भी यहाँ मौजूद हैं, अपनी राय देने की जरूरत नहीं है। मैं मिनिस्टर साहब से यह कह रहा हूँ कि पहले वे रिप्लेट करें, उसके बाद अगर कुछ है तो रिप्लेट करेंगे। Please cooperate with me....(Interruption)...

Please cooperate with me *...(Interruptions)...*

SHRIMATI VANGA GEETHA(Andhra Pradesh): Sir, I want to take only one minute.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; please cooperate with me. *...(Interruptions)...*The Minister is going to react.

श्री मती चन्द्रकला पांडे : इतनी महिलाओं ने बोला है, उन्हें भी समय दे दीजिए । ..(व्यवधान)...

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक (हरियाणा) : सर, पूरा सदन ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : देखिए, इसमें मैं नहीं समझता कि क्यों इतना रिएक्ट...(व्यवधान).... क्योंकि जब पूरा हाऊस इसके साथ है, मिनिस्टर को रिएक्ट करने दें । ...(व्यवधान).....

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक : मध्य प्रदेश में हुआ है...(व्यवधान)..... अपराध हुआ और अपराध में मंत्री शामिल है ...(व्यवधान)... आपका आदेश शिरोधार्य है लेकिन मैं आपके माध्यम से केवल इतना अनुरोध करना चाहता हूँ कि मंत्री जी जब रिएक्ट करेंगे तो इन बिन्दु पर भी रिएक्ट करें कि जो सवैधानिक संकट मध्य प्रदेश में खड़ा हुआ है, केन्द्र सरकार उसे गंभीरता से लेकर संविधान को कुचलने से रोकने के लिए मध्य प्रदेश के खिलाफ क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री राजीव शुक्ल : असली बात यह है कि कार्यवाही क्या होगी ?...(व्यवधान)....

श्री उपसभापति: अभी मिनिस्टर साहब ने रिएक्ट भी नहीं किया है ...(व्यवधान)... आपने डिमांड की है न ...(व्यवधान)... देखिए, आर्नरेबल मिनिस्टर...(व्यवधान)... Let the hon. Minister speak. ...(Interruptions)... The Minister will react to it ...(Interruptions)...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, he himself is from Madhya Pradesh. ...(Interruptions)...

श्री राजीव शुक्ल : मंत्री जी कार्यवाही का आश्वासन दे दें ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Minister is going to react.

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचोरी) : आदरणीय उपसभापति महोदय, ग्राम भानगढ़, तहसील सरदारपुर, जिला धार, मध्य प्रदेश में दस मई 2005 को रात्रि के साढ़े सात बजे के करीब महिला एंव बाल विकास विभाग में सेवारत सुपरवाइजर श्रीमती शकुंतला वर्मा पर जो जानलेवा हमला हुआ है, उसके सिलसिले में जो सम्मानित सदस्यों ने क्रोध जाहिर किया है, वह घटना निःसंदेह निन्दनीय और दुर्भाग्यजनक है । मेरी कल मुख्य मंत्री जी से मध्य प्रदेश के संबधमें चर्चा हुई थी और जिला धार के कलेक्टर से भी दूरभाष पर चर्चा हुई थी । आज यह मुद्दा उठा है, उससे तीन सवाल खड़े हुए हैं पहला बाल-विवाह से जुड़ा है, दूसरा जो महिला सुपरवाइजर हैं, श्री मती शकुंतला वर्मा, उन प्राणघातक हमले से जुड़ा है और तीसरा राज्य सरकार के द्वारा इस संबध में कोई कार्यवाही की गई या नहीं, इससे जुड़ा हुआ है । ...(व्यवधान)...

मौलाना अबैदुल्लाह खान आजमी : राज्य सरकार के उसमें शामिल होने से भी जुड़ा हुआ है।

مولانا عبید اللہ خان اعظمی : راجیہ سبھا سرکار کے اس میں شامل ہونے سے بھی جڑا ہوا ہے۔

श्री सुरेश पचौरी : मान्यवर, जहां तक बाल-विवाह से जुड़ा हुआ मामला है, यह बात सही है कि 11 मई, आखा तीज, अक्षय तृतीय का अवसर था, उस समय सामूहिक विवाह होते हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा, बाल-विवाह रोकने के अभियान के अंतर्गत ज़िले भर में कार्यवाही की जा रही थी। अब उस समय क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वह इस हमले की घटना से अलग है, लेकिन जो खास बात है, वह उस समय क्या हुआ, वह हमले की है। उसमें मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो रिपोर्ट मुझे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा और धार के कलेक्टर के द्वारा भेजी गई है, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि हमलावारों के विरुद्ध प्रकरण क्रमांक 121/05 धारा 307, 457 भारतीय दंड संहिता के अनुसार दर्ज कर लिया गया है, पर्जीबद्ध कर लिया गया है। दूसरा, जहां तक राज्य सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं, मैं यह बताना चाहता हूँ कि घटनास्थल पर, जैसा कि वहां के कलेक्टर ने भी मुझे बताया कि पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक, एस,डी,एम. — ये सब वहां कैम्प पर पहुंच चुके हैं और उक्त महिला को, जो इन्दौर के निजी चिकित्सालय है “गोकुलदास” में भरती करा दिया गया है। वहां जो vascular Surgeon, डा. अनिल गर्ग के निर्देशन में दस घंटे तक उनकी सफलतापूर्वक सर्जरी की गई है और इस पूरे इलाज का खर्च, लगभग तीन लाख रूपए, मध्य प्रदेश शासन द्वारा उठाया गया है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि किसी पर जानलेवा हमला हो, तो जो खर्च उठाया जाए, उसमें मैं इसको कम्पनसेंट करूँ क्योंकि दुर्भाग्यजनक घटना तो दुर्भाग्यजनक होती है और तीन लाख देने से कुछ नहीं होता, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए, सम्मानित सदस्य यह जानना चाहते थे।

मान्यवर, जहां तक यह बात आती है, जैसा कि सम्मानित सदस्य ने कहा कि केन्द्र सरकार इस संबंध में क्यों नहीं कुछ कर रही है, तो केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है और केन्द्र सरकार एक्शन में तभी आती है जब राज्य सरकार की ओर से कोई रिपोर्ट आ जाती है। हम केन्द्र सरकार की ओर से यही कह सकते हैं कि केन्द्र सरकार ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और हम यह अपेक्षा करते हैं कि राज्य सरकार जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने बताया है उन्होंने भी इसको गंभीरता से लिया है। यदि कोई कमी पाई जाएगी तो केन्द्र सरकार इस दिशा में निस्संदेह पहल करेगी। ...*(व्यवधान)*...

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, he has not stated whether the accused has been arrested or not *(Interruptions)* Nothing has been stated. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN. Has any arrest been made? ...*(Intenvptions)*...

SHRI RAJEEV SHUKLA: I want to know from the hon. Minister whether any arrest has been made or not. ...*(Intenvptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Minister will get the information from the State Government and inform the House. ...*(Interruptions)*... Calling Attention, Shri A. Vijayaraghavan. ...*(Interruptions)*... Calling Attention, please, ...*(Interruptions)*... Mr. Vijayaraghavan, just one minute. ...*(Interruptions)*... There is some other notice. ...*(Interruptions)*... Shri Tarlochan Singh. ...*(Interruptions)*...

मौलाना अबुदुल्लाह खाज आजमी (मध्य प्रदेश) : सरकार यह बताए कि क्या कोई मंत्री वहां मौजूद था, मेरा सवाल खत्म हो गया। ...*(व्यवधान)*... सरकार सिर्फ यह बता दें, तो मेरा सवाल खत्म हुआ। मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ। ...*(व्यवधान)*...

مولانا عبید اللہ خان اعظمی : سرکار یہ بتائے کی کیا کوئی منتری وہاں موجود تھا، میرا سوال ختم ہو گیا.....مداخلت.....سرکار صرف یہ بتادے تو میرا سوال ختم ہوا۔ میں صرف یہی جاننا چاہتا ہوں.....مداخلت.....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: मलिक साहब बैठिए। ...*(व्यवधान)*... Mr. Minister, they want to know whether any State Government Minister was present there. ...*(Interruptions)*... कोई मंत्री वहां मौजूद था घटनास्थल पर? ...*(व्यवधान)*...

मौलाना अबुदुल्लाह खाज आजमी : मेरा सवाल का सीधा जवाब दें दीजिए। ...*(व्यवधान)*...

مولانا عبید اللہ خان اعظمی : میرے سوال کا سیدھا جواب دیدیجئے۔.....مداخلت.....

श्री उपसभापति : वे दे रहे हैं।

श्री सरेश : सर, अक्षय तृतीया यानी तीज के अवसर पर 11 मई, 2005 को जिला धार में सामूहिक बाल-विवाह का आयोजन किया गया था। उस अवसर पर कौन मौजूद थे, कौन नहीं थे, मैं इस बात की जानकारी राज्य शासन ले लूंगा। जो दूसरा प्रश्न उठा है, कि यह प्रकरण आई.पी.एस. की धारा के अंतर्गत दर्ज तो कर दिया गया है, इसमें कोई गिरफ्तारी हुई या नहीं, आप सांसदी से यह जानना चाहते हैं। मैंने कल देर रात्रि तक कलैक्टर से बात की थी, वे हमलावरों की बहुत तेजी से तलाश कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है ...*(व्यवधान)*...

श्री विजय जे.देर्डा : (महाराष्ट्र) : उनको तलाश कर लेना चाहिए। ...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति : आप बोलिए। देखिए, ...*(व्यवधान)*... आप बैठिए, दर्डा साहब। ...*(व्यवधान)*...

श्री सरला माहेश्वरी : वे भी एक सरकारी कर्मचारी है और वे भी एक सरकारी कर्मचारी है। फिर उनको क्यों नहीं इस्तीफा दे देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*... वे भी मंत्री है...*(व्यवधान)*...

श्री सभापति : प्लीज आप बैठिए, दर्डा साहब। ...*(व्यवधान)*... आप बोलिए। ...*(व्यवधान)*...

श्री आनन्द शर्मा (हिमाचल प्रदेश) : उपसभापति जी, मेरा एक निवेदन है कि ...**(व्यवधान)**... सारे सदन की भावना को देखते हुए, आज सदन उठने से पहले ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : बैठिए, प्लीज । प्लीज सिट डाउन । ...**(व्यवधान)**... प्लीज फॉलो ...**(व्यवधान)**... वे बात कर रहे हैं ...**(व्यवधान)**... आप उठकर क्या कहेंगे ? आज जरा बैठिए ।

श्री आनन्द शर्मा : सरकार वहां के प्रशासन से जांच करके यह बताए , गवर्नर से बात करके, गृह मंत्री आज सदन को यह बताएं कि इस पर क्या कार्यवाही हो रही है, और गिरफ्तारी के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ? यह जानकारी आवश्यक है । ...**(व्यवधान)**...

श्री मती सरला माहेश्वरी : इस तरह से खामोश नहीं रहा जाएगा । ...**(व्यवधान)**... महात्मा गांधी के बाद हमारे समाज में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर भी हुए हैं, राजा राम मोहन राय भी हुए हैं । ...**(व्यवधान)**...**MR. DEPUTY CHAIRMAN:** The Government has already reacted to it. Beyond that the Chair cannot do anything. They have said that they would collect the information. Beyond that nothing can be done. *(Interruptions)*. देखिए जब इश्यु आएगा, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर अपनी रिएक्शन दिया है । ...**(व्यवधान)**...

पो. अलका क्षत्रिय : यदि वहां के मंत्री शामिल है तो ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : आज जरा सुनिए । आप भी इस हाउस के सीनियर मੈम्बर हैं, गवर्नमेंट जब रिएक्ट करती है, जब मंत्री जी ने कहा है कि इन दोनों विचारों के बारे में क्या वहां पर कोई मंत्री थे, क्या कोई गिरफ्तारी हुई है, उनके पास कोई इन्फोर्मेशन है, ...**(व्यवधान)**...

डा. विजय जे दर्डा : हमारे पास है । ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : आपके पास होगी, गवर्नमेंट रिएक्ट कर रही है । अगर गवर्नमेंट के पास इन्फोर्मेशन नहीं है तो वह इन्फोर्मेशन लेकर मालू कराएगी । इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते । ...**(व्यवधान)**...

श्री मती सरला माहेश्वरी : उस मंत्री से इस्तीफा ले लेना चाहिए । ...**(व्यवधान)**...

SHRI VIJAY J. DARDA Sir, this is a very serious issue. ...*(Intervptions)*...
MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Government has reacted to it. आप बोलिए, दर्डा जी प्लीज, आप बैठिए । ...**(व्यवधान)**... शुक्ला जी ...**(व्यवधान)**... देखिए, अलका जी वह जो बोल रहे हैं, उतना ही बोलेंगे और भाषण दिए तो भी उतना ही कहेंगे इसलिए आप बैठ जाइए।